



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर, 2018

आश्विन 26, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-5

संख्या 1574/1-5-2018-72-2017

लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

प०आ०-293

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यमान जिला इलाहाबाद का नाम, जिला प्रयागराज के रूप में परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1574/I-5-2018-72-2017, dated October 18, 2018.

No. 1574/I-5-2018-72-2017

Dated Lucknow, October 18, 2018

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) the Governor is pleased to alter the name of the existing district of Allahabad as the district of Prayagraj.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law.

By order,

SURESH CHANDRA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 337 राजपत्र (हि०)-2018--(860)-599 प्रतिया (कम्प्यूटर/टी/आफरोट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० राजस्व-2018--(861)-590 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफरोट)।